

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थीगण :-

1.ऊमर 2.अमीर 3.नजीर 4.अयूब पि. मारू,
जाति मुसलमान, निवासी भारियों की बस्ती
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1.पांथीखान 2.करीमखान 3.शौकतअली
4.बरकतखान पि.मुराद 5.आलू 6.मठार
7.मोलिणा 8.सुहाण पि.जुमा, जातियान
मुसलमान 9.सुमार 10.दीना 11.शोमा
12.कमाल पि.अब्दुला 13.जुमा पुत्र युशफ
14.शाहमीर 15.अनवर पि.आमद 16.भागों
पत्नि आमद 17.बिसमला पुत्री शाल्या
18.अली 19.खमीशा पि.ऐसान 20.मुबीन पुत्र
ऐसान, जातियान मुसलमान कुम्हार, निवासी
भारियों की बस्ती, तहसील चौहटन।
21.तहसीलदार चौहटन।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 54/2019

दिनांक : 07.10.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र सणाऊ के मौजा भारियों की बस्ती के खेत खसरा सं. 80 रकबा 19.13 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये

500/- भौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2217 to 2220

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण उमर वगैरा
3. विप्रार्थीगण पांथीखान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन OK

दिनांक

07/10/2022



(भागारथ राम II)

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन